

विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम	उद्यान विभाग
प्रश्न संख्या अतारांकित	1215
उत्तर की तिथि	17-09-2020
विषय	मण्डी मध्यस्थता योजना
प्रश्नकर्ता का नाम	श्री नरेन्द्र बरागटा (जुब्बल-कोटखाई)
सम्बन्धित मंत्री	जल शक्ति मंत्री।

प्रश्न	उत्तर
क) गत 3 वर्षों में दिनांक 31.07.2020 तक हिमफैंड व एच0पी0एम0सी0 द्वारा मण्डी मध्यस्थता योजना (Market Intervention Scheme) के अन्तर्गत सेब उत्पादकों को कितनी धनराशि देय है; और	गत 3 वर्षों में (2017-18, 2018-19 व 2019-20) दिनांक 31.07.2020 तक हिमफैंड व एच0पी0एम0सी0 द्वारा मण्डी मध्यस्थता योजना (Market Intervention Scheme) के अन्तर्गत उत्पादकों को मु0 4156.68/- लाख रुपये व 4922.47 लाख रुपये की धनराशि क्रमशः देय थी जिसका विवरण <u>अनुलग्नक 'क'</u> पर दिया गया है।
(ख) इस अवधि में कितनी धनराशि आवंटित की गई है; ब्यौरा वर्षवार दें?	इस अवधि में बागवानों को हिमफैंड द्वारा मु0 3356.88/- लाख रुपये व एच0पी0एम0सी0 द्वारा मु0 4031.25/- लाख रुपये की धनराशि आवंटित की गई है तथा मु0 799.80 लाख रुपये व मु0 891.22 लाख रुपये की धनराशि क्रमशः शेष देय है। वर्षवार ब्यौरा <u>अनुलग्नक 'ख'</u> पर दिया गया है।

अनुलग्नक 'क'

गत 3 वर्षों में (2017-18, 2018-19 व 2019-20) दिनांक 31.07.2020 तक हिमफैड व एच0पी0एम0सी0 द्वारा मण्डी मध्यस्थता योजना (Market Intervention Scheme) के अन्तर्गत उत्पादकों को देय धनराशि का विवरण:-

क्र० सं०	वर्ष	मण्डी मध्यस्थता योजना के अन्तर्गत बागवानों को देय राशि (रु०लाख)	
		हिमफैड	एच०पी०एम०सी०
1	2017-18	1031.25	1114.80
2	2018-19	888.68	1155.06
3	2019-20	2236.75	2652.61
	कुल राशि	4156.68	4922.47

अनुलग्नक 'ख'

गत 3 वर्षों में (2017-18, 2018-19 व 2019-20) दिनांक 31.07.2020 तक हिमफैड व एच0पी0एम0सी0 द्वारा मण्डी मध्यस्थता योजना (Market Intervention Scheme) के अन्तर्गत उत्पादकों को आंबटित की गई एवं शेष देय राशि का विवरण:-

क्र० सं०	वर्ष	मण्डी मध्यस्थता योजना के अन्तर्गत बागवानों को आंबटित की गई व शेष देय राशि (रु०लाख)			
		हिमफैड		एच०पी०एम०सी०	
		आंबटित राशि	शेष देय राशि	आंबटित राशि	शेष देय राशि
1	2017-18	1031.25	0	1092.31	22.49*
2	2018-19	888.68	0	1042.74	112.32*
3	2019-20	1436.95	799.80	1896.20	756.41
	कुल राशि	3356.88	799.80	4031.25	891.22

नोट:-* एच०पी०एम०सी० द्वारा वर्ष 2018-19 तक के सभी शेष MIS की राशि का नकद भुगतान हेतु सभी शाखाओं में धनराशि भेज दी गई है तथा बागवानों को भी इस बारे में बार बार सूचित किया जा रहा है(समाचार पत्र में भी प्रेस नोट दिया गया है)। जो भी बागवान 2018-19 तक की Fruit receipt ले के शाखाओं में आ रहे हैं, उनका नकद भुगतान किया जा रहा है।